...यालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आरटीएस)

दिनांक 23.11.17

मि.न.176 / 17

सरकार बनाम रामसिंह वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान अनुपस्थित।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम मलपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 37 / 1.2068है0में से0.37है,38 / 0.73है0मेंसे0.73है0,39 / 0.66है0मेंसे0.66है0,46 / 3.83है0मेंसे 3.83है0,51 / 16.84है0मेंसे 1.50है0किस्म भूमि चारागाह पर रामसिह पुत्र प्रभातिलाल ,लख्मीचन्द पुत्र बिशन सिंह ,राजबाला पत्नि रामसिंह ,संतोष पत्नि लख्मी चन्द जाति यादव निवासी दिल्ली हाल मलपुरा ने जोत कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित नहीं आये तथा तथा जबाब पेश नहीं किया गया । अतः प्रत्रावली में संलग्न दस्तावेज तथा पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन करने पर गैर सायलान का उक्त खसरा नंबर पर अतिक्रमण सिद्व होता है।इस लिये गैर सायलान के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही की जाती है।

अतः गैर सायलान रामसिह पुत्र प्रभातिलाल ,लख्मीचन्द पुत्र बिशन सिंह ,राजबाला पत्नि रामसिंह ,संतोष पत्नि लख्मी चन्द जाति यादव निवासी दिल्ली हाल मलपुरा को वाके ग्राम मलपुरा के आ0ख0न0 न0 37 / 1.2068है0में से0.37है,38 / 0.73है0मेंसे0.73है0,39 / 0.66है0मेंसे0.66है0,46 / 3.83है0मेंसे 3.83है0,51 / 16.84है0मेंसे 1.50है0किस्म भूमि चारागाह पर अतिक्रमि घोषित करते हुए उक्त आराजियात पर की गई जोत को हटाया **जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण** करने के आरोप में लगान राशी 28.36 रू का पचास गुणा 1418रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 23.11.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

17-01-18 ... के ... पृष्ठ संख्या 75 ... पर 14/18 ... किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली